Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 204-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023 (AGRAHAYANA 2, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 नवम्बर, 2023

संख्या 69/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जो उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 107 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व पारित आदेश (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के विरूद्ध, अपील दायर नहीं कर सके, और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिनकी उक्त आदेश के विरूद्ध अपील केवल इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उक्त अपील धारा 107 में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) अधिसूचित करते हैं जो ऐसे मामलों में अपील दायर करने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (1) के अनुसार 31 जनवरी, 2024 को या इससे पूर्व **प्ररुप जीएसटी एपीएल–01** में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर करेगाः

परंतु उक्त आदेश के विरूद्ध अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबन्धों के अनुसार दायर की गई हो, और इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, इस अधिसूचना के अनुसार दायर की गई मानी जाएगी, यदि यह नीचे पैरा 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

3. इस अधिसूचना के अधीन कोई अपील तब तक दायर नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने निम्नलिखित का भुगतान नहीं किया हो–

(क) आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की पूरी राशि, ऐसा भाग, जैसा उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यधीन, उक्त आदेश से उत्पन्न विवाद में कर की शेष राशि के साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर राशि, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, जिसमें से कम से कम बीस प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान की जानी चाहिए थी।

4. उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील दायर करने के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, इस अधिसूचना के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक अपीलकर्ता द्वारा या तो स्वयं या किसी प्राधिकरण (या) अदालत के निर्देशों पर, भुगतान की गई किसी राशि के संबंध में अपील के निपटान तक इस अधिसूचना के मद्दे कोई भी प्रतिदाय प्रदान नही किया जाएगा ।

5. इस अधिसूचना के अधीन कोई भी अपील ऐसी मांग, जिसमें कर शामिल नहीं हो, के संबंध में स्वीकार्य नहीं होगी।

6. इस अधिसूचना के अधीन दायर अपील पर हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के अध्याय XIII के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd November, 2023

No. 69/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies taxable persons who could not file an appeal against the order passed by the proper officer on or before the 31st day of March, 2023 under section 73 or 74 of the said Act (hereinafter referred to as the said order), within the time period specified in sub-section (1) of section 107 read with sub-section (4) of section 107 of the said Act, and the taxable persons whose appeal against the said order was rejected solely on the grounds that the said appeal was not filed within the time period specified in section 107, as the class of persons (hereinafter referred to as the said person) who shall follow the following special procedure for filing appeals in such cases:

2. The said person shall file an appeal against the said order in **FORM GST APL-01** in accordance with sub-section (1) of Section 107 of the said Act, on or before 31st day of January 2024:

Provided that an appeal against the said order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act, and pending before the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification, if it fulfills the condition specified at para 3 below.

3. No appeal shall be filed under this notification, unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to twelve and a half per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed, out of which at least twenty percent should have been paid by debiting from the Electronic Cash Ledger.

4. No refund shall be granted on account of this notification till the disposal of the appeal, in respect of any amount paid by the appellant, either on their own or on the directions of any authority (or) court, in excess of the amount specified in para 3 of this notification before the issuance of this notification, for filing an appeal under sub-section (1) of Section 107 of the said Act.

5. No appeal under this notification shall be admissible in respect of a demand not involving tax.

6. The provisions of Chapter XIII of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 shall mutatis mutandis, apply to an appeal filed under this notification.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10722—C.S.—H.G.P., Pkl.